

इतिहास शिक्षण की विधियाँ

परम्परागत रूप से जब हम शिक्षण विधियों के विषय में बातचीत करते हैं तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि शिक्षक क्या करता है परन्तु आधुनिक युग में शिक्षण विधियों के साथ जो पद (Term) प्रयुक्त किए जाते हैं, वे छात्रों की सीखने की क्रियाओं Learning Activities का वर्णन करते हैं उदाहरणार्थ वाद-विवाद विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, योजना विधि आदि। सार यह है कि प्रत्येक पद इस बात की व्याख्या कर रहा कि शिक्षक क्या करता है? यथार्थ में शिक्षक केवल इन क्रियाओं को निर्देशित करता है। जब यह कहा जाता है कि शिक्षक आगमन विधि का प्रयोग कर रहा है तब इसका अभिप्राय है कि वह आगमन विधि से शिक्षण कर रहा है परन्तु ऐसा नहीं है। वह केवल छात्रों द्वारा संचालित आगमन प्रक्रिया का निर्देशन कर रहा है। आगमन केवल छात्रों की क्रिया है न कि शिक्षक की।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि शिक्षण विधि कार्य की वह सामान्य योजना है जिसका निर्धारण किसी विशेष शैक्षिक परिणाम या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अतः शिक्षण विधि शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित है दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षण विधि वह मार्ग है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है। इतिहास शिक्षण की कोई विशेष विधि नहीं हैं। इसका शिक्षण विभिन्न ढंगों एवं साधनों के प्रयोग से किया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इतिहास एक ऐसा व्यापक विषय है जिसमें विभिन्न विवादग्रस्त प्रकरणों की व्याख्या की जाती है। इस कारण इनको समझने के लिए प्रविधियों तथा ढंगों का प्रयोग करना पड़ता है इस दृष्टि से इसमें निम्नलिखित विधियों को प्रयुक्त किया जा सकता है।

साधनों के प्रयोग से किया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इतिहास एक ऐसा व्यापक विषय है, जिसमें विभिन्न विवादग्रस्त प्रकरणों की व्याख्या की जाती है। इस कारण इनको समझाने एवं सुलझाने के लिए विभिन्न विधियों एवं प्रविधियों तथा ढंगों का प्रयोग करना पड़ता है। इस दृष्टि से इनमें निम्नलिखित विधियों को प्रयुक्त किया जा सकता है –

कथात्मक विधि

कथात्मक विधि में कहानी कहना, बातचीत करना, भाषण देना आदि का समावेश होता है, क्योंकि इस सब में वाणी का उपयोग करना पड़ता है। छोटी कक्षाओं में कहानी कहना ही इतिहास सिखाने की सर्वोत्तम विधि है। प्लेटो ने भी इस विधि को छोटे बालकों के लिए लाभप्रद एवं उपयुक्त बताया था। बालक स्वाभावितः कहानी-प्रिय होते हैं। कल्पना की उडान में उनकी बहुत-सी नैसार्गिक प्रवृत्तियों का विकास होता है। मानव बाल्यावस्था तथा वृद्धावस्था-दोनों ही में कहानी सुनने तथा कहने में रुचि प्रदर्शित करता है। कुछ मनुष्यों में कहानी कहने की कला जन्मजात होती है और कुछ व्यक्ति प्रयत्न करके सीख लेते हैं। इतिहास के शिक्षक को इस कला को जानना आवश्यक है। यदि उनमें यह कला स्वाभाविक रूप से नहीं है तो उसे प्रयत्न करके अर्जित करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वह सफल शिक्षक के अधोलिखित गुणों पर निर्भर है –

1. कहानी की भाषा छात्रों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, जिससे वे उसको समझने में समर्थ हो सकें तथा उनका ध्यान लगा रह सके।
2. कहानी बालाकों के मानसिक स्तर, रुचि एवं अवस्था के अनुकूल होनी चाहिए। यदि छोटी कक्षा के छात्र हैं तो उनके लिए ऐसी कहानियों का चयन किया जाय, जिनके द्वारा उनकी कल्पना एवं कौतूहल प्रवृष्टि को सन्तुष्ट किया जा सके। यदि छात्र 12 वर्ष की अवस्था के हैं तो उनको क्रियाशील पात्रों की कहानियाँ सुनानी चाहिए क्योंकि इस अवस्था का बालक उपयोगिता एवं सक्रियता में रुचि रखता है।
3. कहानी कहने का ढंग रुचिकर, स्वाभाविक तथा भावपूर्ण होना चाहिए, अर्थात् उसमें कृत्रिमता नहीं आनी चाहिए।
4. शिक्षक जिस कहानी को अपने छात्रों को सुनाना चाहता है, उसकी पाठ्य-वस्तु पर उसका पूर्ण अधिकार हो।
5. शिक्षक को ऐतिहासिक कहानियाँ कालक्रम के अनुसार सुनानी चाहिए तथा छात्रों को जो भी कहानियाँ सुनाई जाएँ वे जीवन-गाथाओं के रूप में हो।
6. कथावाचक निजत्व की भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसको छात्रों में घुल-मिल जाना चाहिए, तभी वह कहानी कहने में सफलता प्राप्त कर सकता है।

7. शिक्षक को कहानी सुनाने में छात्रों को सहायता लेनी चाहिए। उनको सतर्क तथा साक्रेय बनाए रखने तथा अपनी विषय-वस्तु को बोधगम्य बनाने के लिए प्रश्नों तथा सहायक सामग्री का भी उपयोग करते रहना चाहिए। श्यामपट्ट पर कहानी की प्रमुख बातों, स्थलों तथा तिथियों को भी लिखते रहना चाहिए, जिससे छात्र बाद में उपयोग कर सकें।
8. शिक्षक को कहानी की पाठ्य-वस्तु में रूचि लेनी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वह अपने छात्रों की रूचि विषय के प्रति उत्पन्न करने में असफल रहेगा।
9. शिक्षक को अभिनय-कला का भी ज्ञान होना आवश्यक है जिससे वह भावानुसार अपने हाव-भाव प्रदर्शित करने में सफल हो सके। इसके साथ ही उसमें स्वर को भावों के अनुसार उतार-चढ़ाव करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। यदि उसमें यह शक्ति नहीं होगी तो वह कहानी को सफलतापूर्वक प्रस्तुत नहीं कर सकेगा और न सीखने हेतु उपयुक्त वातावरण ही निर्मित कर सकेगा।
10. शिक्षक को ऐतिहासिक महापुरुषों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए?

कथात्मक विधि के गुण

- (1) इसके द्वारा बालकों में इतिहास के प्रति रूचि उत्पन्न की जा सकती है।
- (2) इससे बालकों की कल्पना-शक्ति का विकास होता है। इसके लिए अध्यापक बालकों को पहले रूपरेखा दे सकता है और इस रूपरेखा को बालकों से पूर्ण करवा सकता है। बालक इसको पूर्ण करने में आपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करेंगे।
- (3) इस विधि से बालक अपने गुप्त भावों को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त करते हैं। बालकों को विभिन्न पात्रों के कथन दोहराने के लिए कहा जा सकता है, जिससे उनकी डिझाक तथा लज्जाशील प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है।
- (4) कहानी के द्वारा उनकी जिज्ञासा को तृप्त करके उन्हें अनुशासित किया जा सकता है।
- (5) जारीविस का विचार है कि इससे बालकों में नैतिक गुणों का विकास होता है क्योंकि वे नैतिक पुरुषों की कहानियाँ पढ़ते एवं सुनते हैं, अतः उनके कार्यों का स्वतः ही बालकों पर प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में उनके अनुकरण करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अतः वे अपना चरित्र उनके अनुसार बनाने का प्रयत्न करते हैं।

खण्ड-विधि

इतिहास-शिक्षण में खण्ड-विधि का प्रतिपादन मिस एम. रीयस ने किया है। उस विधि में शिक्षक इतिहास से एक ऐसी सामान्य विषय-वस्तु का चयन करता है, जिसको सुविधा एवं सरलता से विभिन्न प्रकरणों में विभाजित किया जा सकता है। ये विभाजित प्रकरण ऐसे होते हैं जिनको वैयक्तिक रूप से छात्र पढ़ एवं लिख सकते हैं। साथ ही उनके बारे में वे खोज कर सकते हैं। इन प्रकरणों को छोटे समूहों के द्वारा भी पढ़ा एवं लिखा जा सकता है। उदाहरणार्थ, अकबर नामक खण्ड को चुना जा सकता है। इस खण्ड में सग्राट, दरबारी, लेखक, कलाकार, विद्वान, सेनापति, कूटनीति तथा व्यापारी आदि प्रकरण निहित हैं। प्रत्येक प्रकरण से सम्बन्धित संदर्भ पुस्तकें तथा अन्य पुस्तकें अध्ययन के लिए होंगी।

खण्ड-विधि के सोपान- इस विधि के तीन प्रमुख सोपान हैं। सोपानों का विवेचना अग्रलिखित है –

(अ) स्पष्टीकरण : यह कार्य इतिहास-शिक्षक का है। शिक्षक को चयन किए हुए खण्ड के विषय में पूर्णरूप से बताना चाहिए, उसे छात्रों के खण्ड के क्षेत्र के विषय में लिखित रूप से सामग्री प्रदान करनी चाहिए। साथ ही वह छात्रों को खण्ड से सम्बन्धित आवश्यक वस्तुओं की सूची प्रदान करे।

(ब) अनुसन्धान – इस स्तर पर छात्र खण्ड के सम्बन्ध में खोज करेंगे। अतः यह स्तर छात्रों का है। परन्तु शिक्षक को सदैव वहाँ उपलब्ध रहना चाहिए जिससे छात्र अध्ययन एवं खोज करते समय जिन समस्याओं का सामना करें, उनके सम्बन्ध में वे उनसे मार्ग दर्शन एवं सहायता प्राप्त कर सकें। छात्रों की इस स्तर की क्रियाएँ उनको इस बात का ज्ञान कराती हैं कि इतिहासकार किस प्रकार इतिहास की रचना करता है।

(स) एकीकरण – खण्ड विधि का तीसरा सोपान एकीकरण है। इस स्तर पर छात्र पृथक्-पृथक् खोजों को एकीकृत करते हैं। उनके द्वारा यह कार्य विभिन्न प्रकार से किया जाता है। उदाहरणार्थ, अध्ययन किए गए विभिन्न अंशों को पुस्तक का रूप प्रदान करना, किसी प्रदर्शनी में चित्रों तथा निबन्धों के रूप में उस सामग्री को प्रदर्शित करना, प्रत्येक समूह का नेता नियुक्त करना जिससे वह खोज या अनुसन्धान के परिणामों को स्पष्ट कर सके। साथ ही अनुसन्धान या खोज की प्रगति को बता सके।

खण्ड विधि के लाभ – इस विधि के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है :-

1. यह विधि छात्रों को स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
2. इसके द्वारा छात्रों को विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का प्रयोग करना सिखाया जाता है।
3. यह विधि छात्रों में विभिन्न कौशलों का विकास करती है।
4. इसके द्वारा छात्रों को विस्तारपूर्वक अध्ययन करने के लिए अवसर प्रदान किये जाते हैं।
5. यह विधि छात्रों को जटिल ऐतिहासिक परिस्थिति में विभिन्न कारणों की अन्तःक्रिया को समझने में सहायता प्रदान करती है।

स्त्रोत या आधार विधि

इतिहास पढ़ाने की विधियों में स्त्रोत विधि अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसका महत्व जानने से पूर्व यह प्रश्न उठता है कि 'स्त्रोत' शब्द का क्या अर्थ है और इस विधि का प्रयोग किस स्तर पर किया जाना चाहिए? इन प्रश्नों के उत्तर अग्रलिखित हैं—

1. **स्त्रोत का अर्थ** – भूतकाल के इतिहास का पता लगाना एक जटिल प्रश्न है। वर्तमान समय में निवास करने वाला मनुष्य व्यक्तिगत रूप से इस बात का ज्ञान किस प्रकार प्राप्त कर सकता है कि शताब्दियों पूर्व किसी देश में क्या हुआ? इतिहास एक वैज्ञानिक विषय है, अतः इतिहासकार निरर्थक तथा काल्पनिक कहानियों के आधार पर अपनी ऐतिहासिक बातों का निर्माण नहीं कर सकता। वह चाहे किसी काल का इतिहास लिखे, उसके लिए नितान्त आवश्यक है कि वह उस समय की वास्तविकता का वर्णन करे। अतः इतिहास का आधार 'तथ्य' है। इतिहास के तथ्य स्पष्ट प्रमाणों तथा वास्तविक आधारों पर आश्रित होते हैं। अतः इतिहासकार वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं। कोई भी लेखक किसी भी प्रकार से स्वयं भूतकाल में नहीं जा सकता। अतः उस समय जो व्यक्ति उपस्थित थे, उन्होंने जो घटनाएँ देखी और उन्हें लिखकर रखा, अथवा उनके पत्र-व्यवहार पर इतिहासकार को निर्भर रहना पड़ता है। इन प्रमाणों और आधारों को चाहे वे लिखित अथवा अलिखित, तथ्य कहते हैं। ये तथ्य ही हमारे इतिहास के स्त्रोत हैं। इन तथ्यों के द्वारा हमें एसा स्त्रोत मिलता है जिससे हम इतिहास का शरीरी निर्मित कर लेते हैं।

एस.वी.सी. ऐया ने स्त्रोत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा— "स्त्रोत भूतकालीन घटनाओं द्वारा छोड़े गये चिन्ह हैं। यद्यपि इतिहास की घटनाएँ वास्तविक रूप में घटित होती हैं। फिर भी वे अधिक समय तक वास्तविक

नहीं रह पातीं। उनके द्वारा छोड़े गए शेष चिन्ह ही उन्हें वास्तविकता प्रदान करते हैं। इतिहासकार इन्हीं शेष चिन्हों के आधार पर कार्य करता है। वह इन शेषचिन्हों की सफलता से अतीत की घटनाओं का तार्किक एवं क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करने में समर्थ होता है।"

2. स्त्रोतों का किस स्तर पर प्रयोग किया जाए – स्त्रोतों के प्रयोग के विषय में भिन्न-भिन्न मत है। कुछ विद्वानों का मत है कि इन स्त्रोतों का प्रयोग उच्च कक्षाओं में होना चाहिए जिसे वे समझ सकें तथा इनका प्रयोग कर सकें। परन्तु डॉ. कीटिंग का मत है कि इनका प्रयोग जूनियर स्तर पर किया जाना चाहिए। परन्तु यह प्रयोग वातावरण स्थापित करने के लिए किया जाए। स्त्रोतों के द्वारा ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए जिससे बालक शिक्षा प्राप्त कर सके। इस स्तर पर स्त्रोतों का विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए।

स्त्रोतों का वर्गीकरण

इतिहास के स्त्रोत भूतकाल के लोगों द्वारा छोड़े गए शेषचिन्ह विभिन्न रूपों में पाये जाते हैं। इन शेष चिन्हों को अध्ययन की सुविधानुसार अधोलिखित भागों में बाँटा जा सकता है—

(अ) पुरातत्त्वीय स्त्रोत – इन सूत्रों को निम्नलिखित रूपों में पाया जाता है। इन शेषचिन्हों को अध्ययन की सुविधानुसार अधोलिखित भागों में बाँटा जा सकता है :—

(1) स्मारक सम्बन्धी स्त्रोत – स्मारक सम्बन्धी स्त्रोतों के अन्तर्गत भवन, मूर्तियाँ, बर्तन आदि आते हैं। भारत में लार्ड कर्जन द्वारा पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। इस विभाग ने मोहनजोदड़ो, हड्ड्या, तक्षशिला, कौशाम्बी, सारनाथ, काशी, पाटलिपुत्र, नालन्दा, साँची, भारहूत आदि स्थानों में कार्य किया। इससे उसने प्राचीन इतिहास की सामग्री खोज निकाली। इस खुदाई कार्य से जो वस्तुएँ प्राप्त हुईं, वे उस काल के इतिहास के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं।

(2) पुरालेख संबंधी स्त्रोत – पुरालेख सम्बन्धी स्त्रोतों के अन्तर्गत पत्थरों, स्तम्भों, चट्टानों, ताप्रपत्रों, भवनों की दीवारों आदि के लेख एवं मूर्तियाँ आती हैं। इनके द्वारा भारतीय इतिहास के विभिन्न पक्षों के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान किए जाते हैं।

(3) मुद्रा-विषयक स्त्रोत – ये स्त्रोत सिक्कों के अध्ययन से इतिहास की सामग्री प्रदान करते हैं। प्राचीनकाल के सिक्के भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं।

(ब) साहित्यिक स्त्रोत – इन स्त्रोतों को अग्रलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है :—

(1) धार्मिक साहित्य – इस साहित्य के अन्तर्गत धर्म ग्रन्थ आते हैं। साहित्य भारतीय इतिहास को महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता है। इनमें वेद, रामायण, महाभारत, त्रिपिटक, पुराण आदि आते हैं।

(2) लौकिक साहित्य – इस साहित्य को निम्नलिखित दो भागों में बाँटा जा सकता है :—

(क) निजी साहित्य – इस प्रकार का साहित्य वह साहित्य है जिसकी रचना किसी लेखक ने व्यक्तित्व रूप से की हो। इस प्रकार के साहित्य के अन्तर्गत कालिदास द्वारा रचित 'शाकुन्तलम्', विशाखादत्त का 'मुद्राराक्षस', कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र', बाबर का 'बाबरनामा', जहाँगीर की 'तुजुक-ए-जहाँगीरी' आदि रचनाएँ आती हैं।

(ख) सार्वजनिक साहित्य – यह किसी अधिकारी के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अन्तर्गत राजकीय आदेश, सनद, फरमान, न्यायालय के निर्णय आदि आते हैं।

सहायक हैं। उदाहरणार्थ—पाटालेग्राम को विभेन्न कालों में पाटालेपुत्र, अजीमाबाद, बंकोपुर तथा पटना के नाम से जाना गया है। इन नामों के महत्व को समझने में मौखिक परम्पराएँ महत्वपूर्ण भाग अदा करती हैं।

स्त्रोतों का वर्गीकरण हम दूसरे ढंग से भी करते हैं, वे निम्नलिखित हैं :-

1. मौलिक स्त्रोत — इसके अन्तर्गत प्रत्यक्ष अवशेष सामग्री आती है; उदाहरणार्थ — स्मारक, सिवके, यन्त्र आदि। इसके अन्तर्गत प्रत्यक्ष अंक या छाप भी आती है, उदाहरणार्थ—आज्ञा पत्र, आदेश, फरमान, संविधान, सन्धियाँ, न्यायालयों के निर्णय तथा व्यक्तिगत इतिहास आदि।

2. सहायक स्त्रोत — इसके अन्तर्गत पुस्तकें, जीवन चरित्र, आत्मकथाएँ, इतिहास आदि आते हैं।

स्त्रोतों की विश्वसनीयता — समस्त स्त्रोत विश्वसनीय नहीं हैं, उदाहरणार्थ—चन्द्रवरदाई के पृथ्वीराज—रासों को पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को जानने के लिए प्रमाणयुक्त स्त्रोत के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। अतः शिक्षक को स्त्रोतों का प्रयोग बड़ी सतर्कता के साथ करना चाहिए। उसे उनको स्वयं के लिए परीक्षित करना चाहिए। यदि परीक्षण के आधार पर स्त्रोत विश्वसनीय एवं प्रामाणिक सिद्ध होते हैं तो उसे उनका प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं। स्त्रोतों की विश्वसनीयता को जाँचने के लिए अग्रलिखित रीतियों को प्रयोग में लाया जा सकता है—

1. उसको यह देखना चाहिए कि स्त्रोत के रचियता ने पक्षपातपूर्ण ढंग से अपने विचार का विवेचन तो नहीं किया है।
2. यदि किसी विषय पर परस्पर विरोधी विचारव्याराएँ प्रचलित हैं तो उसे उनकी प्रमाणिकता आलोचनात्मक ढंग से जाँचनी चाहिए और आवश्यकतानुसार अपने निर्णय का भी प्रयोग करना चाहिए।
3. उसका स्त्रोतों की तिथियों की अशुद्धियों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसे स्त्रोतों की जाँच कालक्रम के आधार पर करनी चाहिए।

इतिहास—शिक्षण में स्त्रोतों का प्रयोग

इतिहास—शिक्षक किसी प्रकरण का शिक्षण करते हुए स्त्रोतों का प्रयोग पाठ के निम्नलिखित स्तरों पर कर सकता है—

(1) पाठ की समाप्ति पर स्त्रोतों का प्रयोग — शिक्षक अपने पाठ को समाप्त करने के बाद भी स्त्रोतों का प्रयोग कर सकता है। वह छात्रों को मौलिक या सहायक स्त्रोतों से उपयुक्त उद्धरण प्रदान करके उनके आधार पर किसी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कह सकता है। इस प्रकार से शिक्षक छात्रों की रुचि को कायम रखने में सफल हो सकता है। यह प्रयोग प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विशेषतः रोचक होगा।

(2) पाठ के प्रारम्भ में स्त्रोतों का प्रयोग — इतिहास—शिक्षक अपने पाठ के प्रारम्भ में स्त्रोतों का प्रयोग कर सकता है। वह छात्रों की जिज्ञासा को जाग्रत् करने के लिए स्त्रोतों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ सकता है, उदाहरणार्थ—विलियम जोन्स, मैकाले तथा राममोहन राय के अंग्रेजी के प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या विचार थे?

(3) पाठ के मध्य स्त्रोतों का प्रयोग – शिक्षक पाठ का विकास करते समय भी स्त्रोतों का प्रयोग कर सकता है। इस स्तर पर स्त्रोतों का प्रयोग करने का मुख्य अभिप्राय छात्रों को प्रदान किये जाने वाले ज्ञान को समृद्ध एवं स्पष्ट करना होगा, उदाहरणार्थ—यदि शिक्षक औरंगजेब के चरित्र के विषय में पढ़ा रहा है तो वह औरंगजेब द्वारा अपने भाइयों को लिखे हुए पत्रों को प्रस्तुत करके छात्रों की रुचि को पाठ में रत कर सकता है। ये पत्र छात्रों की जिज्ञासा को औरंगजेब तथा उसके भाइयों और उनके आपसी सम्बन्धों को अधिकाधिक जानने के लिए जाग्रत् करेंगे।

उपयुक्त प्रकार के स्त्रोतों का प्रयोग करके शिक्षक छात्रों की जिज्ञासा को जाग्रत् करके छात्रों को उन्नत अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। धीरे-धीरे उनको स्वतन्त्र रूप से स्त्रोतों का उपयोग करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। इनके प्रयोग से छात्रों में स्वाध्ययन एवं उनके कुशल प्रयोग के लिए उपयुक्त आदतों के निर्माण में सहायता प्रदान की जा सकती है।

शिक्षक इतिहास का अध्यापन करते समय स्त्रोतों का प्रयोग निम्नलिखित अभिप्रायों की पूर्ति के लिए कर सकता है –

1. इनका प्रयोग कक्षा में ऐतिहासिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है।
2. इनके द्वारा अपने मौखिक पाठ को पूर्ण बना सकता है।
3. ऐतिहासिक आलोचनाओं की परीक्षा करने के लिए।

(1) वातावरण निर्माण – शिक्षक स्त्रोतों के उपयोग से इतिहास-शिक्षण को वास्तविक बना सकता है। यदि अध्यापक प्राचीनकाल की सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति का ज्ञान दे रहा है तो शिक्षक स्त्रोतों का प्रयोग करके बालकों के समुख उसी काल का वातावरण उत्पन्न कर सकता है, जिससे छात्र उसी काल को अनुभव प्राप्त करने में समर्थ हो सके।

(2) मौखिक पाठ की पूर्ति – स्त्रोतों का प्रयोग प्रत्येक स्तर पर किया जा सकता है। शिक्षक इनका प्रयोग मौखिक पाठ की कठिन बातों का सरलीकरण करने के लिए कर सकता है। अध्यापक को उन सभी स्त्रोतों का प्रयोग करना चाहिए जिनके द्वारा वह अपने पाठ को पूर्णतया समझने योग्य बना सकता है।

(3) ऐतिहासिक आलोचनाओं की परीक्षा – इसके लिए स्त्रोत प्रयोग में लाये जा सकते हैं। अनेक पाठ्य-पुस्तकों एक मत के अनुसार लिखी हुई होती है। उनमें सत्यता को स्पष्ट नहीं किया जाता। अध्यापक इन सत्यों को स्पष्ट करने हेतु विभिन्न लिखित स्त्रोतों का उपयोग कर सकता है; उदाहरणार्थ, यदि शिक्षक पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में पढ़ा रहा है तो उसे पाठ्य-पुस्तकों पर ही आधारित नहीं रहना चाहिए, वरन् उनमें दिए हुए तथ्यों की सत्यता को ज्ञात करने के लिए उसको 'भाऊसाहबजी बाखर', 'काशीराज' द्वारा लिखित लेख तथा भाऊ के पत्रों का अध्ययन स्वयं करना चाहिए और छात्रों को इन स्त्रोतों के आधार पर ऐतिहासिकता को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

अध्यापक को इस विधि का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए –

1. स्त्रोतों के अध्ययन को समय के अनुसार क्रम में रखे अर्थात् जितना समय प्राप्त है, उसी के अनुसार अध्ययन के लिए समय दे।
2. छात्रों के स्वाध्ययन के पश्चात् अध्यापक छात्रों की सहायता से उन पर वाद-विवाद करे।
3. उसे उन पुस्तकों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिनमें इतिहास के स्त्रोतों का संकलन हो।